डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 101] रायपुर, बुधवार, दिनांक 23 मई 2001—ज्येष्ठ 2, शक 1923

विधि और विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2001

अधिसूचना

क्रमांक 1457/21-अ/प्रा./2001.—छत्तीसगढ़ ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2000 की धारा 1 की उपधारा (3) के साथ पठित भारत के संविधान की पांचवी अनुसूची के भाग-ख की कण्डिका 5 की उप कण्डिका (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, तारीख 29 मार्च 2001 को उस तारीख, जिसको छत्तीसगढ़ ग्राम न्यायालय, 2000 छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में प्रवृत्त होगा, के रूप में नियत करते हैं.

Raipur, the 31st March 2001

NOTIFICATION

No. 1457/21-A/P/2001.—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of Paragraph 5 of Part B of the Fifth Schedule of the Constitution of India and read with sub-section (3) of Section 1 of the Chhattisgarh Gram Nyayalaya Adhiniyam, 2000 the Governor of Chhattisgarh, hereby, appoints the date 29th March 2001 on which the Chhattisgarh Gram Nyayalaya Adhiniyam, 2000 shall come into force to the Scheduled Areas of the State of Chhattisgarh.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उबोवेजा, उप-सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.